वित्तीय स्वीकृति (2015-16)

संख्या-3/2015/एस0ई0-251/दस-15-बीमा-1/14

प्रेषक,

राज रतन,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय,
विकासदीप, 22 स्टेशन रोड,
लखनऊ।

वित्त (सेवायें) अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 07 अप्रैल, 2015

विषय:-अनुदान संख्या-66 के अंतर्गत उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय के लिए वर्ष 2015-16 के व्यय हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1/925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 (प्रति संलग्न) के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-66 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के आयोजनेत्तर पक्ष के लेखाशीर्षक-''2049-ब्याज अदायगियॉ-03-अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज-108-बीमा तथा पेंशन निधि पर ब्याज-03- कर्मचारी सामूहिक बीमा पर ब्याज-32-ब्याज/लाभांश (भारित)'' के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि रू0 2151218 हजार (रूपया दो अरब पन्द्रह करोड़ बारह लाख अट्ठारह हजार मात्र) को वित्तीय वर्ष 2015-16 की अवधि में व्यय करने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

संलग्नक-यथोक्त ।

भवदीय,

(राज रतन)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-3/2015/एस0ई0-251(1)/दस-15, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)- प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।

आज्ञा से,

(राज रतन)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।